



केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी

Central Institute of Higher Tibetan Studies

(Declared as "Deemed to be University" under section 3 of the UGC Act, 1956)

Sarnath, Varanasi

दिनांक: 02.06.2020

अधिसूचना

वर्तमान समय में 'नोवल कोरोना वायरस' के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है जिसके खिलाफ लड़ाई के लिए संस्थान परिवार प्रतिबद्ध है। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए पूर्व में कई एडवाइजरी/गाइडलाइन्स समय-समय पर जारी की गयी हैं। इसी सन्दर्भ में संस्थान परिवार के समस्त सदस्यों तथा विद्यार्थियों खासकर वह कर्मचारी एवं विद्यार्थी जो संस्थान परिसर में रहते हैं उन्हें आगाह करना है कि यद्यपि लॉकडाउन में काफी शिथिलता बरती गई है परन्तु कोविड-19 का संक्रमण पहले की अपेक्षा और तेजी से फैल रहा है जिसको गम्भीरता से लें। इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान परिवार के बचाव हेतु एक गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, जो निम्नवत् है:-

1. शारीरिक दूरी का पालन हर समय अनिवार्य होगा।
2. फेस कवर, और माँक्स पहनना अनिवार्य होगा।
3. हाँथों का सेनेटाइजेशन/साबुन से हाँथ धोना निश्चित अन्तराल में सुनिश्चित करना होगा।
4. किसी भी अवस्था में छात्रों को परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संस्थान परिसर में ही सुनिश्चित की जायेगी।
5. संस्थान परिसर में रह रहे कर्मचारीगण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु ही बाहर जायें। कर्मचारियों के साथ रह रहे बुजुर्ग एवं बच्चों को परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वह घर में ही सुरक्षित रहें।
6. किसी भी प्रकार की बीमारी का संदेह होने पर विद्यार्थी तथा कर्मचारीगण एवं परिवार के सदस्यगण तुरन्त चिकित्सा अधीक्षक, सोवा-रिग्पा को सूचित करें।
7. विद्यार्थियों को संस्थान परिसर के क्रीडांगन में सुबह 5:30 बजे से 7:00 बजे तक तथा सायं 5:00 से 7:00 बजे तक खेलने की अनुमति प्रदान की जाती है।
8. संस्थान के शांतिरक्षित ग्रंथालय को छात्रों के पठन-पाठन हेतु खोलने को सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी अधिसूचना जल्द ही प्रसारित की जायेगी।

कृपया सभी को इसका अनुपालन करना अनिवार्य है।

यह आदेश सक्षमाधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

रशमिल उपाध
(डॉ० आर. के. उपाध्याय)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ :-

1. सहायक कुलसचिव (कुलपति कार्यालय), माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
3. समस्त अध्यापकगण
4. उपकुलसचिव (प्रशासन-प्रथम)
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन-द्वितीय)
7. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग
8. प्रभारी, अनुभाग प्रशासन-प्रथम
9. संबंधित पत्रावली।

रशमिल उपाध
(डॉ० आर. के. उपाध्याय)
कुलसचिव